

निर्णय बड़जलास श्री के.आर. चौहान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(आरएएस), देवगढ़
जिला-राजसमंद

संख्या 322/16प्रा0पत्र

निर्णय दिनांक 25-1-2018

- 1- श्री सोहन पिता जालू जी जाति नायक आयु बालिग निवासी कालेसरीया तहसील देवगढ़
 - 2- श्री रतन पिता जालू जी जाति नायक आयु बालिग निवासी कालेसरीया तहसील देवगढ़
 - 3- श्री चमना पिता जालू जी जाति नायक आयु बालिग निवासी कालेसरीया तहसील देवगढ़
- जिला-राजसमंद

....प्रार्थीगण

बनाम


- 1- श्री बंशीलाल पिता मांगू जी जाति राव आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़
- 2- श्री मनरूप पिता गणेश जी जाति बलाई आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़
- 3- श्री मांगू पिता लालू जी जाति भील आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़
- 4- श्री भेरा पिता भूर जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कालेसरीया(मटूणीया)
- 5- श्री मनोहरलाल पिता मोहन जी जाति ढोली आयु बालिग निवासी कालेसरीया (बेरनीया)त0देवगढ़
- 6- श्री मोहन पिता किशना जी जाति नायक आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़
- 7- श्री धन्ना पिता केसू जी जाति माली आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़
- 8- श्री मदन पिता करमा जी जाति माली आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़
- 9- श्री जगदीश पिता तुलछा जी जाति नायक आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़
- 10- श्री चुनीलाल पिता कालू जी जाति नायक आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़
- 11- श्री पुष्करलाल पिता कालू जी जाति नायक आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़
- 12- श्रीमति मोहनी पत्नि मांगू जी जाति नायक आयु बालिग निवासी कालेसरीया त0देवगढ़

.... विपक्षीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0ले0रे0एक्ट

उपस्थित:-श्री प्रदीपकुमार वकील प्रार्थी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम कालेसरीया पटवारी हल्का कालेसरीया तहसील देवगढ़ में प्रार्थीगण के स्वामित्व ,आधिपत्य व खातेदारी व कब्जे की भूमि स्थित है जिसके आराजीनम्बर 289/1 रकबा 0-16 , आ0नं0 88/4 रकबा 1-08, आ0नं0 44/2 रकबा 0-14 कुल किता 3 कुल रकबा 2-18 बीघा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से काश्त वगैरह करते आ रहे हैं। लेकिन प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की


सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमंद


.....2

द्वार या स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है जिससे प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पड़ोसी पर समय फसल बुआई एवं कटाई के समय सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेंबाजी के लिये विवश होना पड़ता है मौके पर अशांति कायम रहती है जिससे प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो मौके पर जो सीमा संबंधी विवाद रहता है वह हमेशा हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभाग काश्त कर सकेंगे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 12 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें पत्थरगढी में आपत्ति होना निवेदन किया है। अन्य सभी विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है। अधिवक्तागण ने प्रकरण में बहस की वकील प्रार्थीगण ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पूर्व में कभी पत्थरगढी नहीं कराई है। भूमि की पत्थरगढी नहीं होने मौके पर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है प्रार्थीगण की भूमि में से पड़ोसी कभी घास काट लेते हैं कभी फसल काट लेते हैं। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिये समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थीगण उसकी भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं काश्त वगैरह कर सकेंगे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करावे।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र विपक्षी सं० 12 के जवाब, नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में सलंगन अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। ग्राम कालेसरीया प०ह० कालेसरीया तहसील देवगढ की नकल जमाबंदी संख्या 2069 से 2072 में प्रार्थीगण खातेदार है। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कालेसरीया प०ह० कालेसरीया तहसील देवगढ में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजीनम्बर 289/1 रकबा 0-16, आ०नं० 88/4 रकबा 1-08, आ०नं० 44/2 रकबा 0-14 कुल किता 3 कुल रकबा 2-18 बीघा बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान को सूचित कर पत्थरगढी करा रिपोर्ट पेश करे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।


सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला कासमन्द